UPSP010032182026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 01 सहारनपुर।
अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्याः- 1079/2026
उपस्थित:- अभय कृष्ण तिवारी (एच.जे.एस.)
अरशद पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम बाकरपुर, थाना बेहट, जिला सहारनपुर।

.........प्रार्थी ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। ....विपक्षी।

अन्तर्गत धारा 379, 411 भा०दं०सं०
व 26, 41, 42 भारतीय वन अधिनियम,
थाना बिहारीगढ़, जिला सहारनपुर।
मु0 अ 0 सं0 172/2016

03.04.2026

प्रार्थी/अभियुक्त अरशद की ओर से मु0 अ 0 सं0 172/2016, धारा 379, 411 भा०दं०सं० व 26, 41, 42 भारतीय वन अधिनियम, थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर के मामले में स्वयं को अग्रिम ज़मानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.07.2016 को 12.20 बजे रात्रि में वादी व अन्य कर्मचारीगण आरक्षित वन कोठरी कक्ष 1-ए में गस्त पर थे, तभी मुखबिर द्वारा ग्राम कोठडी बहलोलपुर में एक मोटरसाईकिल पर खैर की लकडी लादी जाने वाली सूचना पर उक्त मोटरसाईकिल को पकडने का प्रयास किया तथा मोटरसाईकिल पर बैठे तीन व्यक्तियों को टार्च की रोशनी में भलि भांति अरसद, शकील एवं मशरूफ के रूप में पहचाना गया। उपरोक्त व्यक्ति घने बागो का सहारा लेकर भागने में सफल रहे। मौके से खैर के दो वृक्ष मिले जिन्हें कब्जे में लेकर सुरक्षित रखवा दिया गया। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तण के विरूद्ध मु0 अ 0 सं0 172/2016, अन्तर्गत धारा 379,411 भा०दं०स० एवं धारा 26,41,42 भारतीय वन अधिनियम के अपराध में थाना बिहारीगढ, जिला सहारनपुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम ज़मानत प्रार्थना में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि उसे गांव की पार्टीबाजी के आधार पर झूठा फंसाया गया है। वाद उपरोक्त के सहअभियुक्तगण शकील व मशरूफ की अग्रिम ज़मानत दिनांक 09.03.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। उसका केस भी सहअभियुक्तगण के समान है। वाद उपरोक्त की सभी धाराएं 7 वर्ष के कारावास से कम की हैं। वह मौके से गिरफ्तार नहीं है न ही उसके कब्जे से कोई लकड़ी बरामद हुई है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उसके विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसके बी०डब्लू० होने पर उसके द्वारा प्रस्तुत अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा अग्रिम ज़मानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन०सी०टी ऑफ देहली) एवं अन्य ए 0 आई 0 आर 0 ऑनलाइन 2020 एस 0 सी0 74 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुँचाने की नीयत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर

पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने-मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचार करना चाहिए।माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत भी व्यक्त किया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अमनप्रीत सिंह बनाम सी0 बी0 आई 0 2021 एस 0 सी0 सी0 ऑनलाइन एस 0 सी0 941 के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में उसे जमानत पर निर्मुक्त करना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरक्षित वन क्षेत्र से खैर की लकडी काटकर चोरी करने तथा मौके से खैर की लकडी बरामद होने का आरोप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। प्रस्तुत मामले में विवेचना सम्पादित होने के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त मौके से गिरफ्तार नहीं है। कथित अपराध सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। प्रस्तुत प्रकरण में सहअभियुक्तगण शकील व मशरूफ की अग्रिम ज़मानत प्रभारी सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा दिनांक 09.03.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त की भूमिका भी सहअभियुक्त के समान है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये बिना आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अरशद की ओर से प्रस्तुत अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 1079/2026 सशर्त स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/- (पचीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र और इसी धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर, निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर मुकदमे के अंतिम निस्तारण तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाये।

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत दिनांक में स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेगा, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।
4. आवेदक/अभियुक्त धारा 313 भा०दं०सं० के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
6. आवेदक/अभियुक्त आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा।
7. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश नहीं छोडेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांकः-03.04.2026

(अभय कृष्ण तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 01,सहारनपुर।
आई.डी. यू.पी. 6199

दाऊद
स्टेनोग्राफर

Digitally signed by ABHAY KRISHNA TIWARI
Date: 2026.04.03 16:46:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court